

राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर

क्रमांक : मुसप्र/खुली बिक्री/2019/532

दिनांक :- 26/8/19

आदेश


आवासीय अभियन्ता, खण्ड-पाली के अधीन आवासीय योजना, बालोतरा के विभिन्न आय वर्ग के 09 स्वतन्त्र (निरस्त) आवासों को मण्डल मुख्यालय के कार्यालय आदेश क्रमांक 331 दिनांक 10.07.19 की पालना एवं उप आवासन आयुक्त, वृत्त-प्रथम, जोधपुर तथा अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता-द्वितीय, जोधपुर द्वारा की गई अनुशंसा के आधार पर खुली बिक्री योजना के माध्यम से नकद भुगतान पद्धति में निस्तारण की स्वीकृति एतद् द्वारा प्रदान की जाती है जिनका विवरण निम्न प्रकार है:-

क्र.सं.	योजना का नाम	आय वर्ग	आवास संख्या	कुल
1	आवासीय योजना, बालोतरा	आर्थिक दृष्टि से कमजोर आय वर्ग	4/230	01
2	आवासीय योजना, बालोतरा	अल्प आय वर्ग	1-ई-4, 3-ई-79, 4/303, 3-ई-53, 3-ई-76	05
3	आवासीय योजना, बालोतरा	मध्यम आय वर्ग-अ	2/188, 3/118	02
4	आवासीय योजना, बालोतरा	उच्च आय वर्ग	3/205	01

संबंधित उप आवासन आयुक्त एवं अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता, जोधपुर को निर्देशित किया जाता है कि उक्त आवासों को खुली बिक्री योजना के माध्यम से नकद भुगतान पद्धति में निस्तारण हेतु जारी आदेश क्रमांक मुसप्र/2017/1191 दिनांक 27.03.2017 में उल्लेखित निम्नलिखित शर्तों की पालना सुनिश्चित करें :-


1. फ्लेटों (आवासों) औपटन हेतु कोई भी पंजीकृत आवेदक लम्बित नहीं है।
2. उक्त फ्लेटों (आवासों) के अलावा स्कीम में कोई भी अन्य फ्लेट खुली बिक्री योजना हेतु रिक्त नहीं है।
3. उक्त फ्लेटों (आवासों) का निस्तारण उचित प्रचार-प्रसार के माध्यम से किया जावे।
4. फ्लेटों (आवासों) का निस्तारण खुली बिक्री योजना के अतिरिक्त किसी अन्य प्रकार से करने पर अधिक आय प्राप्त नहीं हो सकती यह सुनिश्चित कर ही निस्तारण करें।
5. प्रस्तावित फ्लेटों (आवासों) में किसी भी प्रकार का विवाद/न्यायिक विवाद लम्बित नहीं है, एवं विधिवत निरस्त किये गये हैं साथ ही यह भी सुनिश्चित करें कि निस्तारण हेतु प्रस्तावित फ्लेटों बाबत किसी न्यायिक प्राधिकरण के समक्ष इनमें से कोई भी आवास किसी प्रकार से आरक्षित रखने बाबत कोई आश्वासन/शपथ पत्र पेश नहीं किया गया है।

उक्त आदेश को माननीय आवासन आयुक्त महोदय का पैरा सं. 14/एन पर अनुमोदन प्राप्त है।


मुख्य सम्पदा प्रबंधक

प्रतिलिपि : निम्न को सूचनार्थ :-

1. निजी सचिव-अध्यक्ष/आवासन आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
2. निजी सचिव-सचिव/वितीय सलाहकार/निदेशक विधि, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
3. मुख्य अभियन्ता-द्वितीय, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
4. अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता-द्वितीय, राजस्थान आवासन मण्डल, जोधपुर।
5. अति० निजी सचिव-मुख्य सम्पदा प्रबंधक, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
6. उप आवासन आयुक्त, रा० आ०म०, वृत्त-प्रथम, जोधपुर।
7. आवासीय अभियन्ता खण्ड-पाली, रा०आ०म०, पाली।
8. सयुक्त एनालिस्ट (निदेशक), राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि आदेश की प्रति मण्डल की वेबसाईट पर डलवायें व सभी संबंधित उप आवासन आयुक्त/आवासीय अभियन्ता को मेल करें।
9. प्रभारी नागरिक सेवा केन्द्र, (मु०), राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
10. रक्षित पत्रावली।


मुख्य सम्पदा प्रबंधक